ओ.ए. नं०- 462/2023

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,
गोण्डा।

सेवा में,

मा० कन्सलटेंट जुडिशियल,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्याः 3346/ खनन अनुभाग/2024, दिनांकः 07.08.2024

विषय– **मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या– 462/2023 राजा राम बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 462/2023 राजा राम बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"..... 14. This Tribunal also observed that un-authorized storage of 9337.5 cubicmeters and 4464 cubic meters sand was not claimed to have been done by the owner of the land or the short term mining lease permit holder. The District Magistrate, Gonda was directed to take over possession of the sand unauthorizedly stored and dispose of the same by way of open auction and deposit the amount thereby realized with UPPCB for utilization for restoration of environment in the area and to file action taken report. The Director, Mining and Geology, State of U.P. was also directed to issue instructions that in cases where illegal mined material is found to have been stored un-authorizedly then the possession of the illegally mined material shall also be taken over and the same shall be disposed of by way of open auction and the amount realized shall be deposited with UPPCB which may utilize the same in the area affected by such illegal mining for restoration of environment ...."

List on 12.08.2024 for further consideration......"

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए०नं0–462/2023 राजाराम बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 02.08.2023 के अनुपालन में जांच आख्या दिनांकित 04.08.2023, 29.08.2023 व 12.08.2023 के अनुसार गाटा सं0–129/1.6060हे0 स्थित ग्राम नवाबगंज गिर्द तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा की खुली भूमि पर व गाटा सं0–1374/4.011हे0 स्थित ग्राम परसापुर की खुली भूमि पर अवैध रूप से साधारण बालू का भण्डारण पाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 07.11.2023, 21.12.2023 व 24.04.2024 पारित किया गया। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए०नं0–462/2023 राजाराम बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 का प्रभावी अंश निम्नवत् है:–

(v) The District Magistrate, Gonda was directed to take over possession of the sand un-authorizedly stored and to dispose of the same by way of open auction and deposit the amount thereby realized with UPPCB for utilizing the above said amount for restoration of environment in the area and to file action taken report in this regard.

मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में याचिका सं0–6037–6038/2024 योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका को निस्तारित करते हुए दिनांक 03मई,2024 निम्नवत् आदेश पारित किये गये :–

3– It is submitted by the learned counsel for the appellants that the interim order date 07.11.2023 and 21.12.2023 passed by the tribunal in OA no.462/2023 are causing lot of difficulty. Subject to the legal and factual situation as may be submitted by the applellants, the tribunal may consider difficulties of the state and pass appropriate order(s).

Scanned with OKEN Scanner

मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू को जब्त कराकर सम्बन्धित थाना नवाबगंज की सुपुर्दगी व देख–रेख में दिया गया। प्रमुख सचिव, भूतत्व एंव खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र 2595/86–2018–12(सामा0)/2018 दिनांक 03.12.2018 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि भण्डारण क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज की मात्रा यदि 10,000घनमी0 अथवा इससे अधिक है, तो ई–टेण्डर के माध्यम से निस्तारित करके प्राप्त धनराशि कोषागार के रायल्टी मद में जमा करायें, यदि उपखनिज 10,000घनमी0 से कम है, तो टेण्डर करके उपखनिज निस्तारित किया जाये एंव प्राप्त धनराशि कोषागार के रायल्टी मद में जमा करायें। चूंकि जब्त उपखनिज की कुल मात्रा 13,801.5 घनमी0 है इसलिये ई–निविदा के माध्यम से अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू की नीलामी करायी गयी तथा निविदा के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य 463/–रू0 प्रति घनमीटर निर्धारित किया गया। सफल निविदादाता द्वारा बोली के सापेक्ष समस्त धनराशि रू0–64,31,499.00 खनिज अनुभाग मे जमा की परन्तु उक्त धनराशि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हस्तानान्तरित नही की जा सकी क्योंकि ई–प्रपत्र–सी./रवन्ना ऑनलाइन निर्गत होता है तथा जमा धनराशि के सापेक्ष ही निर्गत होता है।

उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एंव भण्डारण का निवारण) नियमावली–2018 के नियम–11 एंव 12 के अन्तर्गत खनिजों का परिवहन ई–अभिवहन पास/अभिवहन पास दो प्रतियों में किये जाने तथा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर अभिवहन पास प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। ऐसे में उक्त जमा धनराशि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हस्तानान्तरित कर दी जाती, तब की दशा में अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू का परिवहन किसी भी दशा में संभव नही था तथा उत्तर प्रदेश में खनन अनुभाग द्वारा खनन/परिवहन/भण्डारण के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया संचालित की है तथा ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा ही खनन परिवहन भण्डारण की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। चूंकि जमा धनराशि राज्य सरकार के खाते में अंतरित हो चुकी है। उक्त धनराशि का जिला स्तर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अंतरित किया जाना संभव नही है।

यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एंव भण्डारण का निवारण) नियमावली–2018 के नियम–13 के अनुसार जो कोई इस नियमावली के नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जायेगा, जिलाधिकारी द्वारा रूपये–5,00,000.00 तक की शास्ति, रायल्टी सहित ऐसे खनिज के मूल्य की वसूली किये जाने का प्राविधान है।

सफल निविदादाता द्वारा अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू का परिवहन ऑनलाइन ई–प्रपत्र–सी./रवन्ना के द्वारा किया जा रहा है। शीघ्र ही अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू ग्राम–नवाबगंज गिर्द व परसापुर तहसील तरबगंज जरिये ई–परिवहन प्रपत्र निविदादाता द्वारा हटा दिया जायेगा। अनुरोध है कि खनिज मद में जमा धनराशि के सापेक्ष निर्गत ई–परिवहन प्रपत्र हेतु सहमति/आदेश प्रदान करनें की कृपा करें।

तदनुसार अनुपालन आख्या प्रेषित है।

संलग्नक:– यथोपरि।

भवदीय,

(नेहा शर्मा)
जिलाधिकारी,
गोण्डा।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म, उ0प्र0, खनिज भवन लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
3. विधि अधिकारी (प्रथम) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या।

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

Scanned with OKEN Scanner

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO(S). 6037-6038 OF 2024
(@ D.NO. 14576 OF 2024)

THE STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...Appellant(s)

Vs.

RAJA RAM SINGH & ORS. ...Respondent(s)

ORDER

1. Delay condoned.

2. We are not inclined to entertain these appeals against the interim orders passed by the National Green Tribunal (the 'Tribunal').

3. It is submitted by the learned counsel for the appellants that the interim orders dated 07.11.2023 and 21.12.2023 passed by the Tribunal in OA No. 462/2023 are causing lot of difficulty. Subject to the legal and factual situation as may be submitted by the appellants, the Tribunal may consider difficulties of the State and pass appropriate order(s).

4. We also request the Tribunal to examine the Notification dated 15.01.2016 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change and such other related governmental instruments which enable removal of sand deposits from agricultural fields. There is a great scope for misusing of this notification as it may lead to illegal mining and top soil erosion causing enormous damage to the environment. We say no

Signature Not Verified
Digitally signed by
Indu Marwah
Date: 2024.05.09
17:36:55 IST
Reason:

Scanned with OKEN Scanner

more than request the Tribunal to examine this in close scrutiny.

5. Civil Appeals are disposed of with these observations.

6. We make it clear that we are not expressing any opinion in the matters.

7. Pending application(s), if any, stand disposed of.

..............................J.
[PAMIDIGHANTAM SRI NARASIMHA]

............................J.
[ARAVIND KUMAR]

NEW DELHI;
MAY 03, 2024.

Scanned with OKEN Scanner

ITEM NO.16

1313

COURT NO.16

SECTION XVII

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

CIVIL APPEAL Diary No(s). 14576/2024

(Arising out of impugned final judgment and order dated 07-11-2023 in OA No. 462/2023 21-12-2023 in OA No. 462/2023 passed by the National Green Tribunal)

THE STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. Petitioner(s)

VERSUS

RAJA RAM SINGH & ORS. Respondent(s)

(IA No.100803/2024-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.100804/2024-STAY APPLICATION and IA No.100799/2024-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA No.100807/2024-CONDONATION OF DELAY IN FILING APPEAL)

Date : 03-05-2024 This petition was called on for hearing today.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE PAMIDIGHANTAM SRI NARASIMHA
HON'BLE MR. JUSTICE ARAVIND KUMAR

For Petitioner(s) Ms. Aishwarya Bhati, A.S.G.
Mr. Anil Kumar Sinha, Adv.
Ms. Poornima Singh, Adv.
Mr. Aarohi Bhalla, Adv.
Mrs. Rachna Gupta, AOR

For Respondent(s)

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

Delay condoned.

The Civil Appeals are disposed of in terms of the Signed Order which is placed on the file.

Pending application(s), if any, shall stand disposed of.

(KAPIL TANDON)
COURT MASTER (SH)

(NIDHI WASON)
COURT MASTER (NSH)

Scanned with OKEN Scanner

(140)

संख्या-1595 / 86-2018-12(सा0म0) / 2018

प्रेषक,

हिमांशु कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग   लखनऊ दिनांक 03 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2018

विषय:-उत्तर प्रदेश खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भण्डारित उपखनिजो का निस्तारण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पत्र संख्या-1527 / एम-1 ए 233(भण्डारण) / 2018, दिनांक 04.10.2018 द्वारा शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि कतिपय जनपदों में जब्त उपखनिजों का निस्तारण किया जाना है।

2. अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत भण्डारण अनुज्ञप्ति लाइसेन्स के नवीनीकरण नहीं होने की दशा में भण्डारण क्षेत्र में उपलब्ध अवशेष उपखनिज की मात्रा यदि 10,000घनमी0 अथवा इससे अधिक हो तो ई-टेण्डर के माध्यम से निस्तारित करके प्राप्त धनराशि कोषागार के रायल्टी मद में जमा करायें, यदि अवशेष उपखनिज 10,000घन मी0 से कम है तो टेण्डर करके उपखनिज निस्तारित किया जाय एवं प्राप्त धनराशि कोषागार के रायल्टी मद में जमा कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(हिमांशु कुमार)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि-संख्या:   / 86-2018, तद्दिनांक:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जलाधिकारी, गोण्डा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 3274 / खनन अनुभाग / 2024 दिनांक :– 26 जून 2024

अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू के निस्तारण लिए ई–निविदा आमंत्रण हेतु सार्वजनिक सूचना।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ० ए०नं0–462 / 2023 राजाराम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य मे पारित आदेश दिनांकित 07.11.2023, 21.12.2023 व 02.04.2024 के अनुपालन में ग्राम–परसापुर, तहसील तरबगंज के गाटा संख्या–1374 / 4.011हे0 पर अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू 4464 घनमीटर व ग्राम–नवाबगंज गिर्द, तहसील तरबगंज–गोण्डा के गाटा संख्या–129 / 1.1606हे0 मे अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू 9397.50 घनमीटर की विक्री सार्वजनिक नीलामी के जरिये प्रस्तावित है। उपरोक्तानुसार दिनांक 01.07.2024 से 08.07.2024 की सायं काल 5:00 बजे तक उक्त अवैध रूप से भण्डारित बालू का हटाये जाने हेतु WWW.etender.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा अगले दिन दिनांक 09–07–2024 को समय 1.00बजे गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी।

अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू की सार्वजनिक नीलामी की शर्ते व विवरण निम्नवत् है–

क0 सं0	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा सं0 / रकबा	उप खनिज का नाम	एकत्रित बालू की मात्रा घनमीटर मे	साधारण बालू का न्यूनतम दर प्रति घनमीटर में (रू0 में)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य रूपये में	आरक्षित मूल्य का 50 प्रति0 अर्नेस्ट मनी रूपये मे
1	तरबगंज	परसापुर,	1374 / 4.011हे0	साधारण बालू	4464	463.00	20,66,832.00	10,33,416.00
2	तरबगंज	नवाबगंज गिर्द	129 / 1.1606हे0	साधारण बालू	9337.50	463.00	43,23,262.00	21,61,631.00

1 कोई व्यक्ति / फर्म / निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारूप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होगी:–

(क) विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञप्ति किया गया हो

(ख) विज्ञप्ति में क्षेत्र का कमांक

(ग) निविदाकार का नाम व पिता का नाम, पता (स्थाई और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाइल नम्बर

(घ) उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए उसने निविदा प्रस्तुत की है, जिसमें निम्न हो–
उपखनिज का नाम–
तहसील का नाम–
भण्डारित स्थल का नाम / ग्राम–

(ड) निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता स्थाई और वर्तमान, ई–मेल एवं मोबाइल नम्बर (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में कोई एक मान्य होगा–ओटर आई०डी० / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / बिजली बिल / बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म / कम्पनी / निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण)

(च) खनिज के प्रति घनमीटर के लिए वाली तर,जो खनिज के लिए नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में विर्निदिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगा।

(छ) एकत्रित किये गये बालू की मात्रा (घनमीटर) को नियमायनी 1963 की अनुसूची–1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी उसका 50 प्रतिशत के समतुल्य राशि का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा, उसकी ई–निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

(ज) खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र

Scanned with OKEN Scanner

(च) खनिज के प्रति घनमीटर के लिए वाली तर,जो खनिज के लिए नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में विर्निदिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगा।

(छ) एकत्रित किये गये बालू की मात्रा (घनमीटर) को नियमायनी 1963 की अनुसूची–1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी उसका 50 प्रतिशत के समतुल्य राशि का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा, उसकी ई–निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

(ज) खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र

(झ) उस जिले के जिलाधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण पत्र जहां वह स्थाई रूप से निवास करता है। (ट) पैन कार्ड एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र।

2– ई–निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 01.07.2024 से दिनांक 08.07.2024 को सायं 5.00 बजे तक ई–टेण्डर पोर्टल WWW.etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जा सकेगी।

3– विज्ञप्ति के अनुसार सात कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस अर्थात दिनांक 09.07.2024 को अपरान्ह 1.00 बजे अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ई–टेण्डर समिति के सदस्यों द्वारा खोला जायेगा।

4– बिन्दु संख्या–1 में उल्लिखित वांछित अभिलेख तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–1 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक 09.07.2024 को अपरान्ह 12:00 बजे जिलाधिकारी कार्यालय (खनन अनुभाग) गोण्डा में जमा करना होगा तथा बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, क्षेत्र का क्रमांक अंकित करना होगा।

5– क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा भण्डारित बालू हटाने सम्बन्धी सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा।

6– जिलाधिकारी को बिना कोई कारण बताये समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

7– भण्डारण स्थल अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

8– क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा। सहमति प.त्र निर्गत होने के दो दिवस के अन्दर अवशेष सभी धनराशि जमा करना होगा। अन्यथा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जायेगी, जिसके लिए कोई दावा/प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी।

9– निविदाकार को बालू भण्डारण स्थल से मुख्य मार्ग तक की व्यवस्था/निर्माण स्वंय के व्यय पर करना होगा। किसी तृतीय पक्ष के विवाद की स्थिति में राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।

10– ई–निविदा में दी गयी दर को गुणाकर वास्तविक धनराशि निकाली जायेगी। अग्रिम रूप में जमा 50 प्रतिशत की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि आदेश निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

11– ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा गुणवत्ता एवं भण्डारित स्थल के लिए पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर निविदाकर्ता स्वंय आश्वस्त हो लें। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

12– मा० न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।

13– नियमावली 2021 की अनुसूची–1 में उपखनिज (साधारण बालू) की वर्तमान में प्रचलित बाजारू दर रूपये 390/– घनमीटर है।

14– निविदाकर्ता के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र से बालू हटाने/परिवहन से यदि किसी तीसरे पक्ष को कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारक उत्तरदायी होगा।

15– भण्डारण स्थल पर बालू जहां भी है जिस अवस्था में है उसका सत्यापन स्वंय आवेदक करेगा। टेण्डर स्वीकृत होने के बाद प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

16– निर्धारित अवधि में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 09.07.2024 को अपरान्ह 1.00 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में गठित समिति के सदस्यों एवं निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा।

17– सफल निविदादाता को देय निविदा धनराशि पर 2 प्रतिशत टी०सी०एस०, 10 प्रतिशत जिला खनिज न्यास निधि (डी०एम०एफ) देय होगी।

18– निविदा से प्राप्त धनराशि का अंतरण ओ० ए०नं0–462/2023 राजाराम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

(नेहा शर्मा)
जिलाधिकारी,
गोण्डा।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रमुख सचिव, भूतत्त्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ को मय सी०डी० सहित दो दैनिकसमाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।
4. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रभारी अधिकारी खनन गोण्डा।
5. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या भूतत्त्व एवं खनिकर्म।
6. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद गोण्डा को व्यापक प्रचार प्रसार कराने हेतु।
7. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट गोण्डा को मुख्य सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
8. सम्बन्धित समिति के सदस्यों व अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) गोण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निदेशालय भूतत्व एवं खनिकर्म डी०एस०सी० मैपिंग कराते हुए ई–टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
9. उप निदेशक सूचना जनसम्पर्क विभाग–गोण्डा।

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी गोण्डा।
(खनन अनुभाग)

संख्याः 3326 / खनन अनुभाग / 2024 दिनांकः 29 जुलाई, 2024

विषयः जिलाधिकारी गोण्डा के पक्ष में देय 04 बैंक ड्राफ्ट में निहित धनराशि को लेखाशीर्षक 0853 अलौह खनन मद में जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
गोण्डा।

उपरोक्त विषयक भण्डारण नीलामी में निविदादाताओं द्वारा प्राप्त बैंक ड्राफ्ट जिनका विवरण निम्नवत है:—

1—एच0डी0एफ0सी0 बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0—012902, दिनांक 05—07—2024 रू0 21,61,631—00
2—एच0डी0एफ0सी0 बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0—000091, दिनांक 11—07—2024 रू0 21,89,644—00
3—एच0डी0एफ0सी0 बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0—012903, दिनांक 05—07—2024 रू0 10,33,416—00
4—एच0डी0एफ0सी0 बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0—000092, दिनांक 11—07—2024 रू0 10,46,808—00
रू0 64,31,499—00

उपरोक्त बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर आपको इस आशय से भेजा जा रहा है कि कृपया लेखाशीर्षक 0853 अलौह खनन मद में जमा कराना सुनिचित करें।

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

संख्या– 3161 /86–2018–183/2011

प्रेषक,

आत्मा राम,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग — लखनऊः दिनॉक 31 दिसम्बर, 2018

विषयः–प्रदेश में खनिजों के भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 के अन्तर्गत खनिजों के भण्डारण की अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था में आ रही कतिपय कठिनाईयों के दृष्टिगत उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 को अधिक्रमण करते हुये, आम जनमानस को सुगम रूप से खनिजों को उपलब्ध कराये जाने एवं खनिजों के अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 संलग्न अधिसूचना दिनांक 20.12.2018 द्वारा प्रख्यापित कर दी गयी है।

2. अतः खनिजों के भण्डारण के सम्बन्ध में उक्त नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खनिजों के भण्डारण अनुज्ञप्ति निर्गत करने के सम्बन्ध में तात्कालिक प्रभाव से निम्न व्यवस्था अपनाई जायेगीः–

1. उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 के अंतर्गत स्वीकृत की गयी भण्डारण अनुज्ञप्तियां नियमावली, 2018 लागू होने से व्यपगत हो चुकी हैं। पूर्व में स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञप्तियां जिन पर भण्डारित खनिजों का निस्तारण नहीं हो पाया है, को नियमावली 2018 लागू होने के दिनांक से भण्डारित खनिजों के निस्तारण हेतु 01 माह का समय प्रदान किया जायेगा। उक्त अवधि के उपरान्त भण्डारित खनिज राज्य सरकार की सम्पत्ति मानी जायेगी और ऐसी सम्पत्तियों का निस्तारण शासनादेश सं0–2595/86–2018–12(सा0)/2018 दिनांक 03.12.2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

2. नियमावली, 2018 के अन्तर्गत भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रपत्र 'क' पर आवेदन सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगाः–

(एक) विहित अप्रतिदेय फीस रू0 10,000/– का मूल चालान और खनिज स्टाक के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा की रसीद (एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0) जो जिलाधिकारी के पक्ष में बंधक हो।

(दो) भूमि के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज।

(तीन) भू–कर मानचित्र, नजरीनक्शा।

(चार) चरित्र प्रमाण पत्र।

(पांच) आवेदित भण्डारित खनिज की मात्रा की 10 प्रतिशत रायल्टी से अन्यून का ऋण शोधन प्रमाण पत्र।

(छः) इस आशय का शपथपत्र कि आवेदक चोरी या तस्करी या अवैध खनन या अवैध परिवहन या अवैध खनिज भण्डारण से संबंधित किसी मामले में किसी न्यायालय में सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है।

(सात) जिलाधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य खनन देयों से सम्बन्धित अदेयता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

Raj Go

Scanned with OKEN Scanner

3. जिलाधिकारी इस नियमावली के अधीन ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे कराये जाने के उपरान्त, ऐसी मात्रा के लिये जो उसके द्वारा उचित व उपयुक्त समझी जाये के लिये अनुज्ञप्ति स्वीकृत/अस्वीकृत करने का निर्णय लेगा।

4. जिलाधिकारी एक समय में तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये प्रपत्र 'ख' में भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृति करेगा अथवा आवेदन प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आवेदन को अस्वीकृत कर देगा और उसकी सूचना आवेदक को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संसूचित किया जायेगा।

5. जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित निर्बन्धन के आधार पर भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जायेगी:–

(एक) समस्त खनन पट्टाधारकों को छोड़कर।

(दो) ऐसे आवेदित क्षेत्र, जो खनिज के स्त्रोत से दस किलोमीटर के घेरे में हो को छोड़कर।

(तीन) ऐसे व्यक्ति, जो न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराये गये हो को छोड़कर।

(चार) ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी पूर्व अनुज्ञप्ति की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन किया हो को छोड़कर।

(पांच) ऐसी कम्पनी, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की परिधि में नहीं हो को छोड़कर।

(छः) ऐसे व्यक्ति, जो राष्ट्रीय नागरिक नहीं हो को छोड़कर।

6. भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु शर्तें:–

(एक) अनुज्ञप्तिधारी को भण्डारण स्थल पर प्रमुखतः से विक्रय मूल्य प्रदर्शित करना होगा।

(दो) अनुज्ञप्तिधारी को स्टाक के समुचित अनुश्रवण हेतु सीसीटीवी कैमरा और जांच–द्वार अभिनियोजित करना होगा तथा उसकी रिकार्डिंग कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रखना होगा।

(तीन) अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक 30 जून को बालू/बजरी/मोरम की भण्डारित मात्रा के 90 प्रतिशत स्टॉक का निस्तारण करते हुए, इस आशय का घोषणा पत्र अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा कराया जायेगा।

(चार) जिलाधिकारी ऐसी अग्रतर शर्त अधिरोपित कर सकता है, जो लोकहित में आवश्यक हो।

7. भण्डारित उपखनिजों का परिवहन प्रपत्र 'ग' व मुख्य खनिजों का परिवहन प्रपत्र 'छ' के द्वारा किया जायेगा, जिसका लेखा अद्यावधिक स्थिति में भण्डारित स्थल पर रखना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्तिधारी को प्रपत्र–'ड.' में मासिक विवरणी जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

8. फुटकर विक्रेता, जो अधिकतम 100 घन मी0 तक खनिज की मात्रा भण्डारित कर सकते हैं, को भण्डारण अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन्हें स्वयं का विवरण वेब पोर्टल dgmup.in पर आनलाईन दर्ज करना होगा और साथ ही साथ सम्बन्धित जिले के खान अधिकारी को प्रपत्र 'घ' में त्रैमासिक विवरणी दाखिल करनी होगी।

9. प्रदेश के स्टोन क्रेशर उद्योग उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 से आच्छादित नहीं होंगे।

10. भण्डारण अनुज्ञप्ति अधिकतम् दो वर्ष के लिये इस शर्त पर नवीकृत की जा सकती है कि अनुज्ञप्ति की शर्तो का अनुपालन कर लिया गया है।

11. जिलाधिकारी अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान किसी भी समय अनुज्ञप्ति की शर्तो के भंग किये जाने पर अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताओ नोटिस तामील किये जाने से प्राप्त स्पष्टीकरण का समाधान हो जाने पर वह ऐसे निलम्बन को प्रत्याहृत कर सकता है और अनुज्ञप्तिधारी को कारोबार करने की अनुज्ञा दे सकता है अन्यथा अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी को लिखित रूप में संसूचित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर, राज्य सरकार के पक्ष में जमा प्रतिभूति सम्पहृत कर सकता है।

12. उक्त नियमावली की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का उल्लंघन किये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा रू0 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) तक की शास्ति अधिरोपित करने के साथ–साथ खनिज के मूल्य की वसूली की जायेगी। उक्त शास्ति की धनराशि जमा करने में विफल रहने पर सम्बन्धित अनुज्ञप्ति के सापेक्ष जमा की गई प्रतिभूति धनराशि से अधिरोपित शास्ति की कटौती कर ली जायेगी। यह अधिकार भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे देयों को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा।

Raj Go

Scanned with OKEN Scanner

13. अनुज्ञप्तिधारी जिलाधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध होने की दशा में प्रपत्र–'च' में सम्बन्धित आयुक्त के समक्ष 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है।

अतः खनिजों की भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 के प्राविधानों के साथ–साथ उक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक–अधिसूचना दिनांक 20.12.2018

भवदीय,

(आत्मा राम)
विशेष सचिव।

संख्या– (1)/86–2018–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

संलग्नक–अधिसूचना दिनांक 20.12.2018

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

Raj Go

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन
भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग
संख्या– 3091 /86–2018–183/2011
लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या–67 सन् 1957) की धारा 23ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 से संबंधित अधिसूचना संख्या–4268/77–2002–53/2001 दिनांक 2 सितम्बर, 2003 का अधिक्रमण करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018

	अध्याय–एक **(प्रारम्भिक)**
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्राम्भ	1(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 कही जायेगी। (2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएं	2(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में– (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) से है ; (ख) 'जिला अधिकारी' का तात्पर्य संबंधित जिला के कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट से है; (ग) 'वाहक' का तात्पर्य वाहन या सुविधा की किसी रीति से है जिसके द्वारा खनिज का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाता है और इसमें ट्रक, ट्रैक्टर, डम्पर, रेल, जलयान या कोई अन्य साधन सम्मिलित है; (घ) 'जांच चौकी' का तात्पर्य खनिज (खनिजों) के परिवहन से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करने हेतु प्राधिकृत कार्मिक द्वारा प्रबंधकृत किसी स्थायी या अस्थायी संरचना से है ; (ड.) 'प्रपत्र' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न किसी प्रपत्र से है; (च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है; (छ) 'सरकारी प्रयोगशाला' का तात्पर्य भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन कियाशील रासायनिक विश्लेषण प्रयोगशालाओं से है; (ज) 'अवैध खनन' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) का उल्लंघन करके किये गये किसी खनन कियाकलाप से है; (झ) 'अवैध परिवहन' का तात्पर्य अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों से अन्यथा रूप में किसी खनिज का परिवहन करने या परिवहन कराने से है;

Scanned with OKEN Scanner

	(ञ) 'अवैध भण्डारण' का तात्पर्य अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों से अन्यथा रूप में किसी खनिज का भण्डारण करने से है ; (ट) निरीक्षणकर्ता अधिकारी' का तात्पर्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 24 और उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 66 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति से है ; (ठ) 'अनुसंधान कार्य' का तात्पर्य बिना किसी वाणिज्यिक उपयोग के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजनार्थ उद्योग में उपयोग हेतु खनिज के लाभार्थ और उसके उच्चीकरण के लिये उसकी उपयुक्तता के परीक्षण हेतु किये गये किसी कार्य से है ; (ड) 'वैज्ञानिक परीक्षण' का तात्पर्य बिना किसी वाणिज्यिक उपयोग के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजनार्थ खनिज के रासायनिक विश्लेषण या खनिजीय अध्ययन और उसके रासायनिक तथा खनिजीय घटकों एवं गुणों के निर्धारण के लिये किये गये किसी परीक्षण से है ; (ढ) 'भण्डारण अनुज्ञप्ति' का तात्पर्य जिला अधिकारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के लिये जारी अनुज्ञप्ति से है जो कोई खनिज रखना चाहता हो, बिक्रीत करना चाहता हो, उसका व्यपार करना चाहता हो, उसका परिवहन, भण्डारण या अन्यथा रूप में व्यवहरण करना चाहता हो; (ण) 'भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी' का तात्पर्य खनिज (खनिजों) का विक्रय या प्रसंस्करण करने हेतु क्रय करने, रखने, भण्डारित करने, विक्रय करने, आपूर्ति करने, परिवहन करने, वितरण करने या परिदान करने का व्यवसाय करने हेतु इस नियमावली के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाले किसी व्यक्ति से है ; (त) 'अभिवहन पास' का तात्पर्य उक्त अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार निकाले गये किसी खनिज के विधि सम्मत परिवहन हेतु जिला अधिकारी द्वारा जारी किये गये पास से है ; (थ) 'परिवहन' का तात्पर्य खनिज, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये जाने से है; (द) 'तुला चौकी' का तात्पर्य खनिजों या खनिज उत्पादों को तौलने की यांत्रिकीकृत या इलेक्ट्रानिक प्रणाली से है, (ध) 'नगरीय क्षेत्र' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नगरीय और विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र से है ; (2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हैं।
प्रतिषेध	3 कोई व्यक्ति इस नियमावली के अधीन स्वीकृत किये गये किसी स्टाक अनुज्ञप्ति की निबंधन एवं शर्तो के सिवाय विक्रय या उपभोग के प्रयोजनार्थ किसी स्थान पर खनिज क्रय करने, रखने, भण्डारित करने, विक्रीत करने, आपूर्तित करने, उसका परिवहन करने, वितरण करने या परिदान करने या किसी खनिज का अन्यथा रूप में व्यवहरण करने का कार्य नहीं करेगा ; परन्तु यह कि अवीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टाधारक से, ऐसे खनिजों, जिनके लिये उसके पास खनन परिहार हो, के संबंध में यथास्थिति पट्टाधृत क्षेत्र के भीतर ऐसे खनिज (खनिजों) को रखने, भण्डारित करने, बिक्रीत करने, उनकी आपूर्ति करने, उनका परिवहन करने, वितरण करने या प्रसंस्करण करने और पट्टाधृत

Scanned with OKEN Scanner

	क्षेत्र से परिवहन करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी; परन्तु यह और कि ऐसे किसी पट्टेदार/अनुज्ञापत्रधारक या किसी व्यक्ति, जो स्वयं के उपभोग के उपयोग हेतु खनिज कय करे और धारित करे, से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
अनुज्ञप्ति की स्वीकृत और खनिजों के भण्डारण की पात्रता	4(1) निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु पात्र होगा :– (क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारतीय राष्ट्रिक न हो; (ख) ऐसी कोई कम्पनी, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की परिधि में न हो ; (ग) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो ; (घ) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी अनुज्ञप्ति किसी पूर्व अनुज्ञप्ति की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करने के लिए रद्द कर दी गयी हो; (2) खनिज भण्डारण की अनुज्ञा दी जायेगी, यदि :– (क) वह अपने स्रोत से 10 कि0मी0 के घेरे में न हो ; (ख) वह किसी पट्टा/अनुज्ञापत्र धारक के पट्टा/अनुज्ञापत्र क्षेत्र के बाहर न हो; (ग) वह अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक संग्रहीत न की जाय।
	अध्याय–दो
भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु आवेदन	**भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति और उसका नवीकरण** 5(1)ऐसे किसी व्यक्ति, जो कोई खनिज प्राप्त करना, धारित करना, भण्डारित करना, विक्रीत करना चाहता हो, उसका व्यापार या उपभोग करना चाहता हो या उसे अन्यथा रूप में व्यवहृत करना चाहता हो, को प्रपत्र 'क' में भण्डारण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करना होगा। यदि वह ऐसे किसी खनिज जिसकी प्राप्ति का स्रोत जिला अधिकारी की अधिकारिता में न हो, के भण्डारण और व्यापार या भण्डारण और उपभोग हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन करता है तो उसे खनिज प्राप्ति के स्रोत/स्थान का उल्लेख करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन दो प्रतियों में जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसकी अधिकारिता में आवेदक खनिज भण्डारित करना चाहे। (2) आवेदक को ट्रेजरी चालान के माध्यम से लेखाशीर्षक "0853–अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग 102 खनिज परिहार फीस, भाटक एवं स्वामित्व" के अधीन दस हजार रूपये मात्र की अप्रतिदेय फीस जमा करनी होगी। (3) उपनियम (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे :– (एक) समुचित लेखाशीर्षक के अधीन जमा की गयी उपनियम (2) के अधीन यथा विहित अप्रतिदेय फीस की मूल चालान और खनिज स्टाक के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा की रसीद ; (दो) भूमि के हक से संबंधित दस्तावेज, जिसमें विकय विलेख/भाटक विलेख/भू–स्वामी की नोटरीकृत शपथ पत्र पर सहमति सम्मिलित होगा; (तीन) भू–कर मानचित्र, नजरीनक्शा, जिसमें क्षेत्र की सीमाओं का विवरण हो, (चार) चरित्र प्रमाणपत्र;

Scanned with OKEN Scanner

	(पाँच) आवेदित खनिज की मात्रा की अन्यून 10 प्रतिशत रायल्टी का ऋण शोधन प्रमाण पत्र ; (छः) इस आशय का शपथपत्र कि आवेदक चोरी या तस्करी या अवैध खनन या अवैध परिवहन या अवैध खनिज भण्डारण से संबंधित किसी मामले में किसी न्यायालय में सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है ; (सात) अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन संदेय जिला अधिकारी द्वारा जारी, विधिमान्य खनन देयों से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति।
भण्डारण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन का निस्तारण	6– ऐसी जांच, जैसा कि वह उचित समझे, करने के पश्चात और आवेदित खनिज की मात्रा में 10 प्रतिशत रायल्टी की प्रतिभूति जमा की प्राप्ति पर जिला अधिकारी आवेदक को नियम 7 में विनिर्दिष्ट शर्त पर एक समय में अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिये इस शर्त के साथ भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर सकता है कि नदी तल के खनिज हेतु 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली प्रत्येक मानसून अवधि में अनुज्ञाप्तिधारी को अपने 90 प्रतिशत स्टाक के परिसमाप्त होने को दर्शाने वाली विवरणी/अभिलेख प्रस्तुत करना होगा जिसे संबंधित जिला के ज्येष्ठ खनन अधिकारी/खनन अधिकारी/खनन निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया जायेगा। स्टाक परिसमाप्त न होने पर जिला अधिकारी वहाँ अनुज्ञप्ति रद्द कर सकता है, जहाँ आवश्यक पाया जाय और प्रतिभूति जमा को समयहृत कर सकता है। यदि वह भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने का विनिश्चय करता है तो जिला अधिकारी आवेदक को उसकी सहमति हेतु ऐसी अनुज्ञप्ति की स्वीकृति को शासित करने वाली निबंधन एवं शर्ते संसूचित करेगा। आवेदक संसूचना प्राप्त करने के दिनांक से सात दिन के भीतर निबंधन एवं शर्तो की सहमति के संबंध में अवगत करायेगा। जिला अधिकारी प्रपत्र 'ख' में भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत करेगा अथवा आवेदन प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उसे अस्वीकृत कर देगा। स्वीकृति हेतु अस्वीकृति आदेश, तत्संबंधी कारणों को अभिलिखित करते हुए आवेदक को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संसूचित किया जायेगा। परन्तु यह कि जिला अधिकारी सरकार द्वारा समय–समय पर यथा विहित विक्रय तथा विक्रय मूल्य की सामान्य शर्ते नियत कर सकता है। परन्तु यह भी कि फुटकर बिक्रेताओं, जो अधिकतम 100 क्यूबिक मीटर तक खनिज की मात्रा भण्डारित कर सकते हैं, को सरकार द्वारा यथा विहित प्रयोजनार्थ विकसित किये गये वेब पोर्टल पर आनलाइन दर्ज करना होगा और साथ ही साथ संबंधित जिला के खान अधिकारी को प्रपत्र 'घ' में त्रैमासिक विवरणी दाखिल करनी होगी।
भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु सामान्य शर्ते	7–अनुज्ञप्ति प्रपत्र 'ख' में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन स्वीकृत की जायेगी; (एक) अनुज्ञप्तिधारी को भण्डारण स्थल पर प्रमुखता से विक्रय मूल्य प्रदर्शित करना होगा। (दो) अनुज्ञप्तिधारी को स्टाक के समुचित अनुश्रवण हेतु सी सी टी वी कैमरा और जांच द्वार अभिनियोजित करना होगा। (तीन) अनुज्ञप्तिधारी को ई–प्रपत्र 'ग'/प्रपत्र'ग'/प्रपत्र–छ में प्रतिदिन विभिन्न गंतव्य स्थलों पर प्राप्त कराये गये और परिवहन किये गये खनिजों की शुद्ध और बोधगम्य लेखा अनुरक्षित करना होगा जो विधिमान्य अभिवहन पास, जिसके माध्यम

	से अनुज्ञप्तिधारी ने खनिज प्राप्त किया हो, की मात्रा के अनुरूप होगा। (चार) अनुज्ञप्तिधारी को अनुवर्ती माह के प्रथम सप्ताह के भीतर प्रत्येक माह हेतु क्रमशः खण्ड (दो) तथा (तीन) के अधीन अनुरक्षित प्रपत्र 'ड.' में मासिक विवरणी जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। (पॉच) समस्त रिपोर्ट, विवरणियां और रजिस्टर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुरक्षित किये जायेंगे और कारबार–स्थल पर रखे जायेंगे तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे। (छः) अनुज्ञप्तिधारी खनिजों को भण्डारित करते हुए अथवा उन्हे प्रसंस्करण संयत्र या सज्जीकरण संयत्र या कारखाना में उपयोग करते समय पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा। (सात) अनुज्ञप्तिधारी को खान निदेशालय के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को खनिज स्टाक का सत्यापन करने और नमूना तथा अभिलेखों का उद्धरण ग्रहण करने हेतु भण्डार, कारखाना, प्रसंस्करण संयत्र तथा सज्जीकरण संयत्र का निरीक्षण करने देना होगा। (आठ) जिला अधिकारी ऐसी अग्रतर शर्त अधिरोपित कर सकता है, जो लोकहित में आवश्यक हो।
खनिजों का ऑन लाइन विक्रय	8. सरकार आन लाइन खनिज विक्रय की सुविधा प्रदान कर सकती है। उपभोक्ता इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिश्ट विभाग के वेब पोर्टल पर आन लाइन खनिज क्रय हेतु रजिस्टर कर सकते हैं।
अनुज्ञप्ति का नवीकरण	9(1) अनुज्ञप्ति अधिकतम दो वर्ष के लिये इस शर्त पर नवीकृत की जा सकती है कि समस्त निबंधन एवं भार्तो का अनुपालन कर लिया गया है। (2) यदि अनुज्ञप्ति नवीकरण, स्वीकृत किया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पहले ही जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि, यदि विधिमान्य हो, की गणना अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु प्रतिभूति जमा के रूप में की जायेगी। (3) अनुज्ञप्ति, नवीकरण–अवधि, नवीकरणाधीन अनुज्ञप्ति की समाप्ति के दिनांक से प्रारम्भ होगी।
अनुज्ञप्ति का विखण्डन	10. जिला अधिकारी अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान किसी भी समय अनुज्ञप्ति की किसी निबंधन एवं शर्त को भंग किये जाने पर अनुज्ञप्ति को निलम्बित रख सकता है। अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताओ नोटिस तामील किया जायेगा। यदि स्पष्टीकरण से जिला अधिकारी का समाधान हो जाता है तो वह ऐसे निलम्बन को प्रत्याहृत कर सकता है और अनुज्ञप्तिधारी को कारोबार करने की अनुज्ञा दे सकता है। अन्यथा, जिला अधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी को लिखित रूप में संसूचित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर सकता है और उस पर सरकार के प्रति प्रोद्भूत ब्याज सहित प्रतिभूति जमा भी समपहृत कर सकता है।
	अध्याय–तीन **खनिजों का परिवहन**
खनिजों का परिवहन	11(1) खनन पट्टा, खनन अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति धारक द्वारा वाहन के माध्यम से खनिजों के समस्त प्रेषण के साथ एक ई–अभिवहन पास/अभिवहन पास दो प्रतियों में

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न किया जायेगा। वाहन के भारसाधक व्यक्ति को उक्त प्रयोजनार्थ अथवा राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर जॉच चौकी पर अभिवहन पास प्रस्तुत करना होगा।

(2) खनिज वहन करने वाले समस्त वाहनों को जॉच चौकी पर रूकना होगा और संबंधित जॉच चौकी द्वार से निकासी दिये जाने के पश्चात् ही प्रस्थान करना होगा। जॉच चौकी के भारसाधक व्यक्ति को ई–अभिवहन/अभिवहन पास की प्रथम प्रति पर आवश्यक पृष्ठांकन करना होगा और उसे तत्काल ऐसे वाहन के प्रचालक को वापस करना होगा और ई–अभिवहन/अभिवहन पास की द्वितीय प्रति जॉच चौकी के अभिलेखों में रखनी होगी।

अध्याय–चार

जॉच चौकी तथा नाके

12(1) विधिसम्मत प्राधिकार के बिना निकाले गये खनिजों के परिवहन तथा भण्डारण की जॉच करने और पट्टाधृत क्षेत्रों तथा डिपो से परिवहन किये गये खनिजों की गुणवत्ता तथा मात्रा की जॉच करने की दृष्टि से सरकार राज्य के भीतर किसी स्थान पर नाका(नाकों) तथा तुला चौकी (तुला चौकियों) सहित या उनके बिना जॉच चौकी (जॉच चौकियां) स्थापित कर सकती है।

(2) निम्नलिखित अधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर किसी स्थान पर किसी वाहन को रोक सकते हैं और उसकी जॉच कर सकते हैं और वाहन के भारसाधक व्यक्ति को मांग किये जाने पर विधिमान्य अभिवहन पास/अनुज्ञा पत्र और ऐसे अन्य विवरण यथा देयक (देयकें) या रसीद (रसीदें) प्रस्तुत करने होंगे।

	अधिकारी का पदनाम	अधिकारिता
एक	निदेशक, खान या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सम्पूर्ण राज्य
दो	मुख्य खान अधिकारी	सम्पूर्ण राज्य
तीन	जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट	संबंधित जिला के भीतर
चार	ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खनन निरीक्षक	अपने खनन जिला/क्षेत्र के भीतर
पांच	जांच द्वार पर्यवेक्षक	अपने खनन क्षेत्र के भीतर
छः	उपनिरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न पुलिस अधिकारी	अपने संबंधित अधिकारिता के भीतर

(3) प्रत्येक खनन पट्टा और/या अनुज्ञप्ति धारक को खनिजों के स्टाकों तथा लेखाओं और उनसे संबंधित किन्हीं अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण, सत्यापन तथा जांच करने एवं नमूना ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक सहायता उपलब्ध करानी होगी। वह अभिवहन के दौरान वाहन की जांच तथा निरीक्षण, करने हेतु संबंधित प्राधिकारी को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने तथा उसके साथ समन्वय स्थापित करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(4) प्रत्येक खनन पट्टा और/या अनुज्ञप्ति धारक को खानों/डिपों से खनिज परिवहन

Scanned with OKEN Scanner

	करने वाले वाहन के भारसाधक व्यक्ति को ई–अभिवहन पास/अभिवहन पास की द्वितीय एवं तृतीय प्रतियां जारी करनी होगी और मूल प्रति बही में रखी जायेगी। (5) जहॉं विभाग की कोई जॉंच चौकी या जॉंच चौकी सह तुला चौकी हो वहॉं प्रत्येक वाहन को सामान्यतः इससे होकर गुजरना होगा। पट्टेदार या खनिज का प्रयोग करने वाले सयंत्र या कारखाना से अपने स्वयं के लागत पर तुला चौकी रखने हेतु कहा जायेगा और उन्हें तुला चौकी की तुलन पर्ची सहित अभिवहन पास जारी करना होगा। समस्त वाहनों को ई–अभिवहन पास/अभिवहन पास की दो प्रतियां (द्वितीय और तृतीय) रखनी होगी और उस जॉंच चौकी/तुला चौकी पर रूकना होगा जहॉं खनिज की मात्रा और गुणवत्ता का सत्यापन, सरकारी जॉंचकर्ता कर्मचारिवृंद द्वारा किया जायेगा और वाहन के भारसाधक व्यक्ति द्वारा धारित तृतीय प्रति में जॉंच चौकी लिपिक द्वारा आवश्यक पृष्ठांकन करके निकासी दिये जाने के पश्चात् ही प्रस्थान करना होगा। द्वितीय प्रति जॉंच द्वार लिपिक को सौंप दी जायेगी जो इसे कार्यालय अभिलेख के निमित्त रख लेगा। (6) तुला चौकी के स्वामी को तुला चौकी को पूर्ण क्रियाशील दशा में रखना होगा और उसके ठप हो जाने या ठीक से कार्य न करने के सम्बन्ध में सूचना तत्काल सम्बन्धित खनन अधिकारी को दी जायेगी। (7) नाका या तुला चौकी के साथ या उसके बिना प्रत्येक जॉंच चौकी के कार्य समय के सम्बन्ध में खनन अधिकारी द्वारा अग्रिम में आख्यापित किया जायेगा और उक्त कार्य समय, उस क्षेत्र में खनिज यातायात की सामान्य अपेक्षा के अनुरूप होगा। (8) जांच चौकी और/या तुला चौकी का सरकारी भारसाधक जांचकर्ता कर्मचारिवृंद लाये गये खनिज की मात्रा तथा गुणवत्ता का सत्यापन कर सकता है और अभिवहन पास/अनुज्ञापत्र की एक प्रति वापस कर देगा। वह उक्त पास/अनुज्ञापत्र की दोनों प्रतियां में लायी गयी और उक्त पास/अनुज्ञापत्र में दर्शायी गयी खनिज की मात्रा तथा गुणवत्ता के मध्य हुई विसंगति से सम्बन्धित कोई टिप्पणी अभिलिखित करेगा। वह किसी खान स्वामी/अनुज्ञप्तिधारी की ओर से दुहराई गयी विसंगतियों से सम्बन्धित कोई मामला खनन अधिकारी के संज्ञान में लायेगा। (9) वाहन के भारसाधक व्यक्ति को, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर परेषक, परेषिती और खनिजों से सम्बन्धित समस्त सुसंगत सूचना उपलब्ध करानी होगी। (10) खनिज और वाहन की जांच करने के पश्चात् जांच चौकी या तुला चौकी के भारसाधक अधिकारी को अभिवहन पास पर पदनाम दिनांक और समय सहित अपना हस्ताक्षर करना होगा। (11) यदि जांच चौकी या तुला चौकी के भारसाधक अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि खनिज अभिवहन पास से आच्छादित नहीं है अथवा परिवहन बिना किसी विधिमान्य पास के किया गया है तो ऐसा अधिकारी यान को निरूद्ध कर सकता है। तब जांच चौकी या तुला चौकी का भार साधक अधिकारी अथवा कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त खनिज (खनिजों), यान (यानों), उपकरण (उपकरणों), उपस्कर (उपस्करों) अथवा किसी अन्य वस्तु (वस्तुओं) को अभिग्रहीत कर लेगा। अभिग्रहीत खनिज (खनिजे) यान(यानें) उपकरण (उपकरणें) उपस्कर(उपस्करें) या कोई अन्य वस्तु

	(वस्तुएं), अपराध का संज्ञान लेने हेतु सक्षम न्यायालय के किसी आदेश द्वारा अधिहृत किये जाने योग्य होंगी और उनका निरतारण न्यायालय के निदेश के अनुसार किया जायेगा।
	अध्याय–पांच
	<u>प्रकीर्ण</u>
शास्तियां	13(1) जो कोई इस नियमावली के नियम का उल्लघंन किया हुआ पाया जायेगा, जिला अधिकारी रू0 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) तक की शास्ति और रायल्टी सहित ऐसे खनिज के मूल्य की वसूली करेगा। उक्त शास्ति की धनराशि जमा करने में विफल रहने पर सम्बन्धित स्टाक अनुज्ञप्ति के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से जिला अधिकारी द्वारा उक्त की कटौती कर ली जायेगी। (2) किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस नियमावली के किसी उपबन्ध या अनुज्ञप्ति के किसी शर्त को भंग किये जाने अथवा उसका उल्लघंन किये जाने के मामले में जिला अधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को अपने मामले का कथन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् अनुज्ञप्ति का अवधारण कर सकता है।
छूट	14 सरकार किसी आदेश के माध्यम से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को मात्र वैज्ञानिक परीक्षण तथा अनुसंधान कार्य के प्रयोजनार्थ इस नियमावली के किसी उपबन्ध की परिधि से छूट प्रदान कर सकती है।
अपील	15(1) जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये गये किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, प्रपत्र 'च' में आयुक्त को आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है। (2) प्रत्येक अपील के साथ शीर्षक "0853" के अधीन जमा किये जाने हेतु 2000/– रूपये की फीस संलग्न की जायेगी। (3) आयुक्त विरोध में अपील किये गये आदेश को, जैसाकि वह उचित और उपयुक्त समझे, पुष्टिकृत, उसे उपान्तरित या अपास्त कर सकता है।
इस नियमावली के अधीन की गयी कार्यवाही का संरक्षण	16(1) इस नियमावली के अनुसार सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध सद्भावनापूर्वक की गयी या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। (2) इस नियमावली या तद्धीन दिये गये किसी आदेश के अनुसार सद्भावनापूर्वक की गयी या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के कारण हुई या होने हेतु संभाव्य किसी क्षति के लिये सरकार के विरूद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

आज्ञा से,

(हिमांशु कुमार)
प्रमुख सचिव

Scanned with OKEN Scanner